भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1238
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2020/21 माघ, 1941 (शक) को दिया गया)
कम्पनियों द्वारा गुटबन्दी

1238. श्री डी॰एम॰ कथीर आनन्दः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश की विभिन्न क्षेत्रों की कम्पनियों द्वारा की जाने वाली गुटबन्दी की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी॰सी॰आई॰) द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दण्डित की गई कम्पनियों की सूची क्या है और प्रत्येक मामले में राज्य-वार कितना दण्ड लगाया गया है;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में गुटबंदी को रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन करने हेतु कोई नई पहल शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ कथित व्यावसायिक गुटबंदी करने (कार्टेलाइजेशन) से संबंधित मामलों की जांच करने की शक्ति प्रदान करती है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 के उल्लंघन के लिए आयोग द्वारा जिन मामलों में शास्तियां लगाई गई हैं, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	वर्ष	मामलों की संख्या	कंपनियों की संख्या	शास्ति की राशि
(i)	2016-17	04	18	208.39
(ii)	2017-18	09	31	295.35
(iii)	2018-19	17	77	337.10

(घ) और (ङ): सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की पुनरीक्षा करने के लिए दिनांक 01.10.2018 के प्रतिस्पर्धा कानून पुनरीक्षा समिति (सीएलआरसी) का गठन किया। समिति ने 26.07.2019 को सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की संगत धाराओं अर्थात् 2(ग), 3(3) और 46 में संशोधन करके गुटबंदी (कार्टेलाइजेशन) से संबंधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम के उपबंधों के ढांचे को सुदृढ़ करने की सिफारिश की। विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे www.mca.gov.in पर देखा जा सकता है।

****